



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : ce5dc06bc0a1842ab085

Receipt Date : 07-Feb-2022 10:55 39 am

Receipt Amount : 68000/-

Amount In Words : Sixty Eight Thousands Rupees Only

Token Number : 20220000014080

Office Name : SRO - Bokaro

Document Type : Sale Deed

Payee Name : KAMLA KANT MISHRA (Vendee)

GRN Number : 2209704946



Shree
1700000
Aca
9.12.5
Om

नियम 21 के अधीन प्राहा. भारतीय स्टाम्प : For Office Use :- *Ruseel*


अधिनियम 1893 के अधीन यथावत् *800* संख्या.....
 के अधीन यथावत् *68000* शुल्क लगाया गया
 है। या स्टाम्प शुल्क से *विमुक्त* है।

AGIS	51000 = 00
<i>Shree</i>	5 = 00
<i>R</i>	2 = 00
	<u>7 = 00</u>
	51007 = 00

712122

उप शीट का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अधिकांश फोटो कॉपी आदि द्वारा उगी रसीद वा दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय राजकाय अधिनियम 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।

Ruseel



श्रीमती सुशीला देवी

श्री मनोज कुमार झा

CONOM

"बिक्रय पत्र"

बिक्रेतागणः- 1. श्रीमती सुशीला देवी, आधार संख्या-XXXX XXXX 3710, PAN-BFLPD3728K, मो0 नं0-8084102337, पति-श्री हरिमाधव झा एवं माता-स्व0 सियावरी देवी एवं पिता-गंगाधर झा तथा पितामह-स्व0 केशेवर झा, सामान्य वर्ग, पेशा-गृहणी निवास ग्राम बो पो0-हरिनगर, थाना-कुशेश्वर स्थान, हरनगर, दरभंगा, बिहार, वर्तमान निवास स्थान-सेक्टर 2/बी, क्वाटर संख्या 3-079, बी0एस0सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड, 2. श्री मनोज कुमार झा, आधार संख्या-XXXX XXXX 4487, PAN-AEVPJ8238G, मो0 नं0-8879418757, माता-सुशीला देवी एवं पिता-हरि माधव झा तथा पितामह-तिलकेश्वर झा, सामान्य वर्ग, पेशा-नौकरी निवास स्थान-एफ/402, गुलमोहर कॉम्पलेक्स फेज-3, विवा कॉलेज रोड़, दिवेकर हॉस्पिटल जवल विरार, पश्चिम वसई विरार, महानगरपालिका ठाणे, महाराष्ट्र, वर्तमान निवास स्थान-सेक्टर 2/बी, क्वाटर संख्या 3-079, बी0एस0सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड। (सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 (1) बी के दायरे से बाहर है।)

क्रेताः- श्री कमला कान्त मिश्रा माता-स्व0 भागमति देवी एवं पिता-स्व0 मास्करा नन्द मिश्रा तथा पितामह-स्व0 शिव प्रसाद मिश्रा, सामान्य वर्ग, पेशा-सेवा निवृत्त स्थाई निवास ग्राम-धनाड़ी, पो0-बिजौली, जिला-औरंगाबाद, (बिहार), वर्तमान निवास स्थान-सेक्टर 3/ई, क्वाटर नं0 590, पो0-सेक्टर 3/डी, बी0एस0सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड। (भारतीय)। नागरिक। आधार संख्या-XXXX XXXX 0220, PAN-ADLPM1204G, मो0 नं0-8340431306

लेख्यप्रकारः- बिक्रय पत्र हमेशा के लिए। (Absolute Sale Deed)

लेख्य मूल्यः- बिक्रय केवाला दस्तावेज का जमीन सह बाउण्ड्री का मूल्य 17,00,000/- (सतरह लाख) रूपये मात्र। मौजा "चास" के अन्दर रकवा 9.125 डि0 (नौ दशमलव एक दो पाँच डिसमिल) जमीन मात्र। सलाना मालगुजारी 10 पैसा, वर्तमान मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार अंचल कार्यालय चास।

जमीन का किस्मः- आवासीय योग्य बाउण्ड्री कृत जमीन है, जो चास नगर निगम के वार्ड नं0 - 11 में अवस्थित है। जिसका होल्डिंग नं0-0110000587000M0, है।

[Handwritten Signature]

दस्तावेज में अंकित माता प्लॉट अंचल से प्रोबेट सूची से बाहर है

सुशीला देवी

(Suman)

दस्तावेज में अंकित प्लॉट वन भूमि से बाहर है।

बिक्रीत जमीन का पूर्ण विवरण:- मौजा चास थाना चास, थाना नं०-30 परगना खासपेल, जिला बोकारो, झारखंड, जिसका खाता नं० 274 (दो सौ चौहत्तर) शामिल प्लॉट नं० 6234 (छः हजार दो सौ चौत्तीस) में 1 नं० बिक्रेता का खरीदा रकवा 04 डि० एवं खाता नं० 393 (तीन सौ तिरानबे) शामिल प्लॉट नं० 6233 (छः हजार दो सौ तैतीस) में 1 नं० बिक्रेता का खरीदा रकवा 0.5625 डि० एवं 2 नं० दाता का खरीदा रकवा 4.5625 डि०, इस तरह कुल दो दस्तावेजों के द्वारा दो खाता दो प्लॉट में खरीदा रकवा 9.125 डि० (नौ दशमलव एक दो पाँच डिसमिल) जमीन सम्पूर्ण बिक्री किया एवं आज ही से दखल कब्जा दिया। जिसका चौहद्दी:-

उत्तर-पाण्डेय जी, डॉ एन०के० सिंह एवं नकुल सिंह
दक्षिण-8 फीट रास्ता जिसमें ग्रहिता के तरफ से छोड़ा गया 4 फीट
पूरब-सुनिता देवी का मकान एवं जगदीश जी
पश्चिम-आर०एन० गिरी का मकान एवं 12 फीट चौड़ा रास्ता

इस दस्तावेज के साथ नत्थी किया हुआ नक्शा लाल रंग से रंगा हुआ "A" चिन्हित बिक्रीत जमीन दिखाया गया है। रजिस्ट्रार II का भोलुम नं० 25, पेज नं० 48 एवं भोलुम नं० 62, पेज नं० 305 में दर्ज है एवं मालगुजारी वसुल है। जमीन का मूल्य 16,43,000/- (सोलह लाख तैतालीस हजार) रुपये एवं बाउण्ड्री का मूल्य 57,000/- (सन्तावन हजार) रुपये, इस तरह कुल मूल्य 17,00,000/- (सतरह लाख) रुपये मात्र।

संदर्भ

यह कि उपरोक्त वर्णित जमीन चास रजिस्ट्री ऑफिस का रजिस्ट्री किया हुआ विगत दिनांक 06/05/1998 का 2111 नं० केवाला दस्तावेज के द्वारा सत्य नारायण गुप्ता वगैरह के निकट से 1 नं० बिक्रेता के निज नाम से केवाला खरीदा एवं दिनांक 06/05/1998 का 2100 नं० केवाला दस्तावेज के द्वारा विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के निकट से 2 नं० बिक्रेता के निज नाम से केवाला खरीदा हुआ सम्पत्ति होता है।

बिक्रेतागण का वंशावली

बिक्रेतागण के निज नाम से केवाला खरीदा हुआ सम्पत्ति है।

यह कि बिक्रेतागण क्रेता को यह विश्वास दिलाते हैं, कि उपरोक्त जमीन पूर्ण रूपेण पाक वो साफ है। उपरोक्त जमीन पर किसी प्रकार का वारदेन नहीं है न ही किसी प्रकार का किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित है, एवं बिक्रेतागण ही केवल उपरोक्त बिक्रीत जमीन का पूर्ण स्वामी एवं दखलकार है।

Atish

सुशीला देवी

10/10/20

चूँकि बिक्रेतागण को पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपये की नितान्त आवश्यकता है, रुपये प्राप्त करने का अन्य उपाय नहीं होने के कारण बिक्रेतागण, क्रेता से उपरोक्त वर्णित जमीन को उपरोक्त मूल्य पर बिक्री के लिए तैयार हुए, तथा क्रेता बिक्रेतागण के निवेदन पर उपरोक्त जमीन को उपरोक्त मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हुए।

अतः बिक्रेतागण, क्रेता से उपरोक्त लेख्य मूल्य प्राप्त कर इस बिक्रय पत्र के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि से अपना स्वामित्व व हक छोड़कर क्रेता को सौंप दिया और भूमि पर कब्जा दे दिया। इस दस्तावेज के निष्पादन के साथ ही उपरोक्त भूमि का स्वामित्व व हक क्रेता का हो गया।

अतः उपरोक्त 9.125 डि० (नौ दशमलव एक दो पाँच डिसिमिल) जमीन पर जो स्वामित्व व हक बिक्रेतागण या इनके उत्तराधिकारी का था या होता वो अब से क्रेता व उनके उत्तराधिकारियों का होगा।

अतः क्रेता तथा उनके उत्तराधिकारियों को यह पूर्ण अधिकार हुआ एवं होगा कि अपनी स्वेच्छानुसार उपरोक्त वर्णित भूमि पर दखलकार होकर उपरोक्त भू-सम्पत्ति पर, अपने इच्छानुसार कच्चा पक्का मकान, कुँआ, बाग-बगीचा, वसवास, भाड़ा बिली, बिक्री रेहन, बंधक लीज, दान, आदि या जैसा चाहे अपने इच्छानुसार अपने उत्तराधिकारियों को सुख सुविधा के लिए उपभोग करने को स्वतंत्र है इसमें बिक्रेतागण एवं उनके उत्तराधिकारियों को किसी तरह कोई आपत्ति नहीं है न भविष्य में करेंगे। बिक्रेतागण क्रेता को यह विश्वास दिलाते हैं कि उपरोक्त भू-सम्पत्ति पर किसी तरह का दोष या खोट नहीं है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दोष या खोट पाया जाएगा तो बिक्रेतागण कसुरवार होंगे एवं क्षतिपूर्ति की राशि अदा करेंगे।

अब क्रेता एवं उनके उत्तराधिकारियों को चाहिए कि उपरोक्त जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम से सक्षम कार्यालय में कराकर प्रत्येक वर्ष सरकारी मालगुजारी रसीद प्राप्त किया करे, जिसमें बिक्रेतागण या उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगा, बिक्रेतागण क्रेता को पुनः विश्वास दिलाते हैं कि उपरोक्त भूमि पूर्णरूपेण दोष रहित पाक साफ है और ऋण भार मुक्त है और ना ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया है।

बिक्रेतागण के द्वारा प्रमाणित एवं स्वीकार किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियानी के अनुसार सरकारी जमीन, वन भूमि या अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है।

घोषणा पत्र

बिक्रेतागण एवं क्रेता यह घोषणा करते हैं कि दस्तावेज में उनके द्वारा संलग्नित सभी तथ्य बिल्कुल सही है तथा जो कागजात का छाया प्रति संलग्न है बिल्कुल सही है, यदि किसी प्रकार का गलत साबित होता है तो सारी जिम्मेदारी पक्षगणों की होगी।



सुश्री जायेंनी

Janani

आज दिनांक 03/02/2022 को बिक्रेता एवं क्रेता को मजमुन पढ़कर सुना दिया। बिक्रेतागण/क्रेता ने संतुष्ट होने के बाद स्वेच्छा से स्वस्थ मानसिक स्थिति में बिना किसी जोर दबाव के निम्न गवाहों के समक्ष इस दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर बना दिया, जो समय पर काम आवे तथा प्रमाण रहे। (बिक्रेतागण के कथानुसार यह प्रारूप तैयार किया)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र इस दस्तावेज में लगा है, के बायें हाथ के अंगूठियों के निशान मेरे सामने लिया गया है।

प्रारूपकर्ता:- श्री सीताराम शर्मा
दस्तावेज लेखक, मो0 चास

क्रेता का हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर:



SRISH

SRISH